कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

//विज्ञापन//

क्रमांक/डी.एम.एफ./2023–24/ 4723 जगदलपुर, दिनांक 02/08/2023

बस्तर जिले अन्तर्गत संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (UPHC)में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु जिला खनिज न्यास मद जगदलुपर अंतर्गत मेडिकल आफिसर के रिक्त पदो की पूर्ति करने हेतु वॉक इन इंटरव्यु (Walk- In-Interview) आयोजित किया जा रहा है। रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है :–

पद क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	श्रेणीवार रिक्त पद				शैक्षणिक योग्यता	एकमुश्त मासिक मानदेय
			UR	ST	SC	OBC		
01	Medical Officer-UPHC GEEDAM ROAD	01	01	00	00	00	**Essential Qualification** – MBBS + Registration In Concerned Medical Council Of India/ Chhattisgarh Medical Council.	**77,350.00 Per Month**

नियम एवं शर्ते –

1. **आवेदन पत्र के संबंध में :–**
   - 1.1 इच्छुक उम्मीदवार वांछित समस्त दस्तावेजो की मूलप्रति एवं आवेदन के साथ **दिनॉक 07.08.2023 को प्रातः 11:00 बजे से पूर्वान्ह 02:00 बजे तक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर** में उपस्थित होकर भाग ले सकते है।
   - 1.2 **संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :–**
     1. 10 वीं एवं 12 वीं की अंक सूची।
     2. एम.बी.बी.एस. शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्ष की अंक सूची।
     3. इन्टर्नशिप पूर्ण संबंधी प्रमाण पत्र।
     4. एम.बी.बी.एस. शैक्षणिक योग्यता की डिग्री। (स्थायी)
     5. पहचान पत्र (आधार कार्ड/पेन कार्ड/वोटर आई) की प्रति।
     6. छ.ग. मेडिकल काउसिंल में जीवित पंजीयन (स्थायी) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. चयन का आधार :– शैक्षणिक योग्यता का 90% + 10 अंक (अनुभव प्रति वर्ष 02 अंक अधिकतम 10अंक)
3. आयु सीमा :– 01 जनवरी 2023 को अधिकतम 70 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के आधार पर की जावेगी। इस आयु सीमा में सभी प्रकार के छूट शामिल है।

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते एवं दिशा–निर्देश :–

4. अभ्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता (अंक सूची/सर्टिफिकेट) शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से होना अनिवार्य है।
5. चयनित उम्मीदवार को वेतन मानदेय एकमुश्त मासिक राशि देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई अन्य राशि प्रदान नही की जावेगी।
6. पदस्थापना स्थल का निर्धारण वरीयता सूची के आधार पर किया जावेगा।
7. उपरोक्त पद 03 माह के लिए है एवं पूर्णतः अस्थाई है, आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई जा सकती है।
8. चयनित उम्मीदवार कार्यकाल के दौरान निजी संस्था मे कार्य नही कर सकते है, यदि कोई उम्मीदवार चयन उपरांत निजी संस्था मे कार्य करते पाये जाते है, तो उनकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
9. भर्ती प्रकिया के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार के विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भर्ती हेतु गठित चयन समिति जिला बस्तर का होगा।

10. प्रत्येक आवेदक विज्ञापन मे दिये गये निर्देशो तथा आवेदन पत्र मे सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे।

11. अपराधिक प्रवृित्ति एवं कदाचरण व अन्य अनैतिक कार्य मे लिप्त पाये गये आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

12. अभ्यर्थी आवेदन पत्र मे अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो राजपत्रित अधिकारी/स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकावे।

13. उपरोक्त पदो पर आवेदन के साथ वांछित योग्यता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एम.सी.आई./छ.ग. मेडिकल काउंसलिंग से पंजीयन व अन्य दस्तावेजो की छायाप्रति अनिवार्यतः स्वसत्यापित कर संलग्न करे, संलग्न नही किये जाने की स्थिति मे आवेदन निरस्त करने का अधिकार चयन समिति को होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार